

2023/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

द/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
06/23 212 RTA	212 RTA छबड़ा	इकडा छबड़ा	इकडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
फुला बाई	बनाम	रामनारायण	

वकील :- राकेश कुमार सोनी

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
13 ² / ₂₃	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जयें सम्मान तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 15/3/23 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
15 ³ / ₂₃	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जयें सम्मान तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26/4/23 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
12 ⁷ / ₂₃	<p>पत्रावली MRC के अर्थों के वाद पूर्ववत् स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रतिवादी प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण 1 ता 9 के वाद शामिल सम्मत प्राप्त। प्रतिवादी गण अवज्ञा सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक वरदा कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय कइस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम इकडा की आराजी रकता संख्या 358 के ख.न. 405 रकवा 0.15 बीघा ख.न. 433 रकवा 0.07 बीघा ख.न. 434 रकवा 0.04 बीघा ख.न. 435 रकवा 0.04 बीघा ख.न. 436 रकवा 0.00 बीघा ख.न. 437 रकवा 0.10 बीघा कुल किला 6 रकवा 2.10 बीघा</p>	

भूमि के मालिक एवं रिजर्व की यथास्थिति मूल
पत्र के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु प्रतिवादी गणों
को जारिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता
है तथा निर्दिशित किया जाता है उक्त विवक्षित
आशंका का शक, दान, बेचन आदि न तो स्वयं करें
और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रकरण
मूल वाद पत्र के साथ संलग्न है। पत्रावली क्रम
सुमार दोहरा दखिल रहते है।

उपजण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

गणेश